

अध्याय 10

समानता के लिए संघर्ष

इस पुस्तक में अभी तक आपने कांता, अंसारी दंपति, मेलानी और स्वप्ना जैसे लोगों के बारे में पढ़ा। इन सब की कहानियों में जो बात समान है, वह यह कि उनके साथ असमानता का व्यवहार किया गया। ऐसी स्थितियों में लोग क्या कर सकते हैं? इतिहास में इस बात के अनेक उदाहरण हैं, जहाँ लोग असमानताओं के विरुद्ध और न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए एक साथ आ खड़े हुए। क्या अध्याय 1 की रोज़ा पार्क्स की कहानी आपको याद है? क्या अध्याय 5 में स्त्री आंदोलनों पर पढ़े, चित्र लेख आपको ध्यान हैं? इस अध्याय में आप कुछ ऐसी कोशिशों के बारे में पढ़ेंगे, जिनके द्वारा लोगों ने असमानता के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ी।



भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। आप पुस्तक के पहले हिस्से में पढ़ ही चुके हैं कि राज्य और उसके कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उनके अमीर या गरीब होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देश के हर वयस्क नागरिक को चुनावों के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। मताधिकार की ताकत के ज़रिए ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती या बदलती है।

‘मताधिकार की ताकत’ से आप क्या समझते हैं? इस पर आपस में विचार कीजिए।

मताधिकार से हमारे भीतर समानता का भाव विकसित होता है, क्योंकि हमारे भी वोट की कीमत उतनी ही है, जितनी किसी भी और व्यक्ति के वोट की। लेकिन यह भाव, अधिकतर लोगों के जीवन को नहीं छू पाता है। आपने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण बढ़ रहा है और सरकारी अस्पतालों के लापरवाही वाले रवैये ने कांता, हाकिम शेख और अमन जैसे अत्यंत गरीब लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को कठिन बना दिया है। ये वे लोग हैं जो महँगी निजी स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ नहीं उठा सकते।

इसी तरह देखें, एक बूढ़ी औरत जो घर पर अच्छा अचार बनाती है बड़ी कंपनियों के लंबे-चौड़े विज्ञापन खर्च और अनेक संसाधनों के सामने कमजोर हो जाती है और उनसे पिछड़ जाती है। स्वप्ना के पास भी पर्याप्त संसाधनों की कमी है और इसीलिए उसे अपनी रूई की फ़सल उगाने के लिए साहूकार से उधार लेना पड़ता है। यही कारण है कि उसे मज़बूरी में अपनी अच्छी फ़सल को कम कीमत में बेचना पड़ता है। देशभर में मिलानी की तरह से घरेलू काम करने वाली लाखों महिलाएँ हैं, जो लगातार मेहनत से दूसरों के घरों का काम करती हैं। इसके बाद भी वे अपमानित होने को विवश हैं क्योंकि वे संसाधनों के अभाव में स्वयं का कोई काम नहीं कर पाती हैं। गरीबी और संसाधनों का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है।

दूसरी ओर अंसारी दंपति को संसाधनों के न होने या कम होने के कारण असमानता नहीं झेलनी पड़ी। वास्तव में, जबकि उनके पास किराया देने के लिए पर्याप्त पैसे थे, तब भी वे एक मकान पाने के लिए महीने भर भटकते रहे। लोग उनके धर्म के कारण उन्हें मकान देने से हिचकते रहे। ठीक इसी प्रकार स्कूल के अध्यापकों ने ओमप्रकाश वाल्मीकि से स्कूल का मैदान महज़ इसीलिए साफ़ करवाया क्योंकि वे ‘दलित’ थे। आपने इसी पुस्तक में पढ़ा है कि

भारत में यह एक वास्तविकता है कि जो गरीब हैं, सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं और इनमें से भी विशेषतः महिलाएँ हैं।

2001 की जनगणना के आँकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या में 48 प्रतिशत महिलाएँ हैं, 13 प्रतिशत मुसलमान हैं, 16 प्रतिशत दलित हैं और 8 प्रतिशत आदिवासी हैं।

क्या आप अपने परिवार, समुदाय, गाँव या शहर में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिनका आप इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय और समानता के लिए लड़ाई लड़ी?

महिलाओं के द्वारा किए गए काम अक्सर ही पुरुषों के कामों की तुलना में तुच्छ माने जाते हैं। इन सभी के साथ किए जाने वाले भेदभाव का प्राथमिक कारण यह था वे किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के थे या वे महिलाएँ थीं। धर्म, जाति और लिंग वे कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से असमानता का व्यवहार किया जाता है।

गरीबी, मानवीय गरिमा का अभाव और कुछ विशेष समुदायों के प्रति अपमान जैसे कारक अक्सर ऐसे मिले-जुले ढंग से सामने आते हैं कि यह तय करना कठिन हो जाता है कि कहाँ एक तरह की असमानता खत्म होती है और कहाँ दूसरी असमानता शुरू हो जाती है। आपने पढ़ा है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक है। यह स्थिति गरीबी, सामाजिक असमानता और इन समुदायों के लिए अच्छी स्कूल सुविधाओं के अभाव जैसे कई मिले-जुले कारणों से पैदा हुई है।

समानता के लिए संघर्ष

दुनिया भर के तमाम समुदायों, गाँवों और शहरों में आप देखते होंगे कि कुछ लोग समानता के लिए किए गए संघर्षों के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। ये वे लोग हैं, जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के विरुद्ध उठ खड़े हुए। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं कि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी मानवीय गरिमा के साथ स्वीकार किया और सदैव इसे धर्म और समुदाय के ऊपर माना। इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाते हैं।

अक्सर समानता के किसी विशेष मुद्दे को लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं, क्योंकि समता की लड़ाई में बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं, जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों के लिए लड़ने को आगे आए, जो उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। अध्याय 5 में आपने पढ़ा कि कैसे और किन तरीकों से समानता के लिए महिलाओं का आंदोलन खड़ा हुआ। मध्य प्रदेश का 'तवा मत्स्य संघ' ऐसा ही दूसरा उदाहरण है, जहाँ लोग अपने अधिकार के लिए साथ खड़े हुए। ऐसी तमाम संघर्ष गाथाएँ हमारे पास हैं, जिनमें बीड़ी मजदूरों, मछुआरों, खेतिहर मजदूरों, झुग्गीवासियों के समूहों ने अपनी तरह से न्याय के लिए लड़ाईयाँ लड़ीं। ऐसे तमाम

प्रयास भी हमारे सामने हैं जहाँ लोगों ने मिल-जुलकर संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए सहकारी संगठन खड़े किए।

तवा मत्स्य संघ

जब जंगल के बड़े क्षेत्रों को जानवरों के लिए अभ्यारण्य घोषित कर दिया जाता है और बड़े बाँधों का निर्माण किया जाता है तो हजारों लोग विस्थापित होते हैं। पूरे के पूरे गाँवों के लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नयी ज़िंदगी आरंभ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इन विस्थापितों में से अधिकांश लोग गरीब होते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी वे बस्तियाँ जहाँ गरीब रहते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। इनमें से कुछ को शहर के बाहरी इलाकों में दुबारा बसाया जाता है। इस सारी कवायद में न सिर्फ हटाए गए लोगों के काम-धंधे प्रभावित होते हैं, बल्कि शहर में स्थित स्कूलों से दूर हो जाने की वजह से इन बस्तियों के बच्चों की पढ़ाई भी अकसर गंभीर रूप से प्रभावित होती है।

लोगों और समुदायों का विस्थापन हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। ऐसे में कई बार लोग संगठित होकर इसके विरुद्ध लड़ाई के लिए सामने आते हैं। देश में ऐसे बहुत-से

तवा नदी का जलाशय



संगठन हैं, जो विस्थापितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस अध्याय में हम 'तवा मत्स्य संघ' के बारे में पढ़ेंगे जो मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है और सतपुड़ा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है।

छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी, होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बाँध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ और 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत-सी कृषि भूमि भी बाँध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बाँध के आस-पास रहकर थोड़ी-बहुत खेती के अलावा मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह सब करके भी वे बहुत थोड़ा-सा कमा पाते थे।

1994 में सरकार ने तवा बाँध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिकों को



नदी पर बाँध ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सके। ऐसा करने से एक जलाशय बन जाता है और जैसे-जैसे उसमें पानी भरता है, ज़मीन का एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बाँध की दीवार ऊँची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। यह फ़ोटो उत्तराखंड में टिहरी बाँध के बनने से डूब में आए इलाके की है। इस बाँध के कारण पुराना टिहरी शहर और 100 गाँव जिनमें से कुछ पूरी तरह और कुछ आंशिक रूप में पानी के नीचे समा गए। लगभग एक लाख लोग विस्थापित हो गए।

‘तवा मत्स्य संघ’ के संघर्ष का मुद्दा क्या था?

गाँव वालों ने यह संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की?

क्या आप सोचते हैं कि ‘तवा मत्स्य संघ’ की सफलता का कारण था, ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भागीदारी? इस संबंध में 2 पंक्तियाँ लिखिए।

ले आए। ठेकेदारों ने गुंडे बुलाकर गाँव वालों को धमकियाँ देना भी आरंभ कर दिया, क्योंकि लोग वहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। गाँव वालों ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ने और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह ‘तवा मत्स्य संघ’ नाम के संगठन को बनाया गया।

नवगठित ‘तवा मत्स्य संघ’ (टी.एम.एस.) ने सरकार से माँग की कि लोगों के जीवन निर्वाह के लिए बाँध में मछलियाँ पकड़ने के काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह माँग करते हुए ‘चक्का जाम’ शुरू किया गया। उनके प्रतिरोध को देखकर सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। समिति ने गाँव वालों के जीवनयापन के लिए उनको मछली पकड़ने का अधिकार देने



की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि तवा बाँध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दिया जाएगा। दो महीने बाद सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बाँध में मछली पकड़ने के लिए पाँच वर्ष का पट्टा (लीज) देना स्वीकार कर लिया। और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गाँवों के लोगों के लिए 'नया साल' सही अर्थों में आरंभ हुआ।

तवा मत्स्य संघ (टी.एम.एस.) के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा दर्ज किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई, जो पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप की उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। यह सहकारी समिति इसके बाद की प्रक्रिया में भी शामिल होती है। सारा माल बाज़ार तक पहुँचाना और वहाँ भी उचित मूल्य प्राप्त करना समिति का ही काम है। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में तीन गुना ज्यादा कमाने लगे हैं। तवा मत्स्य संघ ने 'जाल' खरीदने और रखरखाव की ज़रूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की है। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ-साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की है कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थितियाँ मिलें। टी.एम.एस. ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी है कि लोगों को जब आजीविका का अधिकार मिलता है, तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का परिचय भी देते हैं।



सबसे ऊपर—टी.एम.एस. के सदस्य एक रैली में विरोध करते हुए।

ऊपर—सहकारी समिति की एक सदस्या मछली तोलती हुई।

क्या आप अपने जीवन से एक ऐसा उदाहरण याद कर सकते हैं, जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की किसी स्थिति को बदला हो?

यहाँ प्रस्तुत यह गीत विनय महाजन द्वारा 'सूचना के अधिकार' के अभियान में लिखा गया:

जानने का हक

मेरे सपनों को ये जानने का हक रे...

क्यूँ सदियों से टूट रहे हैं, इन्हें सजने का नाम नहीं

मेरे हाथों को ये जानने का हक रे...

क्यूँ बरसों से खाली पड़े हैं, इन्हें आज भी काम नहीं

मेरे पैरों को ये जानने का हक रे...

क्यूँ गाँव-गाँव चलना पड़े है, क्यूँ बस का निशान नहीं

मेरी भूख को ये जानने का हक रे...

क्यूँ गोदामों में सड़ते हैं दाने, मुझे मुट्ठी-भर धान अन्य नहीं

मेरी बूढ़ी माँ को ये जानने का हक रे...

क्यूँ गोली नहीं सुई, दवाखाने, पट्टी-टाँके का सामान नहीं

मेरे बच्चों को ये जानने का हक रे...

क्यूँ रात-दिन करें मजदूरी, क्यूँ शाला मेरे गाँव में नहीं

उपर्युक्त गीत में से आपको कौन-सी पंक्ति प्रिय लगी?

‘मेरी भूख को ये जानने का हक रे’

इस पंक्ति से कवि का आशय क्या हो सकता है?

क्या आप अपनी भाषा में अपने क्षेत्र में प्रचलित कोई ऐसा गीत या कविता कक्षा में सुना सकते हैं, जिसमें मनुष्य की समता और गरिमा का वर्णन मिलता हो?

असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति



कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज़ या अन्य कलाओं, जैसे—नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। लेखक, गायक, नर्तक और कलाकार भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएँ, गीत और कहानियाँ न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को दृढ़ भी करती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं।

भारत का संविधान—एक जीता हुआ दस्तावेज़

न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है, वह मनुष्य की समता का ही होता है। आप यह जानते ही हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर ही समता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान ही हैं। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज़ की तरह उपयोग कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की ज़रूरत को स्वीकार किया जाए।

समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस



2001 में लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए एक जन-सुनवाई में इकट्ठे हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिलाओं की एक ज्यूरी बनाई गई और उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कि कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की माँग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाता है।

मूलभाव के लिए चुनौती पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों (मीडिया) पर व्यावसायिक घरानों का बढ़ता दबाव और नियंत्रण, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना और कपास के किसानों की बेहद कम आय होना ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में सामाजिक और आर्थिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं।

लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की सभी जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए।

समानता के लिए लोगों के संघर्ष में हमारे संविधान की क्या भूमिका हो सकती है?

क्या आप एक छोटे समूह में समानता के लिए एक सामाजिक विज्ञापन तैयार कर सकते हो?

संदर्भ

- द्रीज़, ज़्याँ और अपराजित गोयल. 2003. *फ्यूचर ऑफ मिड-डे मील्स*. इकॉनॉमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली।
- हुसैन रुकैया सखावत. 1905. (पुनर्मुद्रण) 1988. *सुल्तानाज ड्रीम*. फेमिनिस्ट प्रेस, न्यूयॉर्क।
- कुमार, कृष्ण. 1986. *ग्रोइंग अप मेल*. सेमिनार 318 ।
- मजुमदार, इन्द्राणी. 2007. *वीमेन एंड ग्लोबलाइजेशन—द इंपैक्ट ऑन वीमेन वर्क्स इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स इन इंडिया*. स्त्री, कोलकाता।
- मीड, मार्गरेट. 1928, 1973 (संस्करण). *ग्रोइंग अप इन समोआ*. अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नैचुरल हिस्ट्री, वाशिंगटन डी.सी.।
- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् , <http://www.mciindia.org/Rules-and-Regulation/Ethics%20Regulations-2002.pdf>
- पाक्स, रोज़ा. 2000. *क्वाइट स्ट्रेन्थ ग्रेण्ड रैपिड्स*. जॉन्डरवन, मिशिगन।
- राससुंदरी देवी, 1999. *वर्ड्स टू विन*. तनिका सरकार का अनुवाद और उन्हीं की भूमिका के साथ, जुबान, नयी दिल्ली।
- रॉय तीर्थकर, 1999. *ग्रोथ एंड रीसेशन इन स्मॉलस्केल इंडस्ट्री—अ स्टडी ऑफ तमिलनाडु पावरलूम्स*. इकॉनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली।
- उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India), *Paschim Banga Khet Mazdoor Samity of Ors. Vs. State of West Bengal & Anr.* (हाकिम शेख केस, फैसले की तारीख: 6 May 1996, <http://judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filename=15597>)
- वाल्मीकि, ओमप्रकाश. 1997. *जूठन*. राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization), *Essential medicines and health products*, <http://www.who.int/medicines/services/inn/en/>
- www.cehat.org/rthc/policybrieffinal.pdf
- www.infochangeindia.org
- जुबान, 1996, *पोस्टर वीमेन—अ विज्युअल हिस्ट्री ऑफ द वीमेन्स मूवमेंट इन इंडिया*. जुबान, नयी दिल्ली।



© भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2007

1. आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है।
2. समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गये बाह्य समुद्री सीमा की दूरी तक है।
3. चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं।
4. इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के मध्य में दर्शायी गयी अंतराज्यीय सीमायें, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 के निर्वाचनानुसार दर्शाई हैं, परंतु अभी सत्यापित नहीं हैं।
5. भारत की बाह्य सीमायें तथा समुद्र तटीय रेखायें भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सत्यापित अभिलेख / प्रधान प्रति से मेल खाती हैं।
6. इस मानचित्र में उत्तराखंड एवं उत्तरप्रदेश, झारखंड एवं बिहार और छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के बीच की राज्य सीमायें संबंधित सरकारों द्वारा सत्यापित नहीं की गयी हैं।
7. इस मानचित्र में दर्शाई गयी नामों का अक्षरविन्यास विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त किया है।

स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान



दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आयोजित
स्कूल सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान
6 अक्टूबर, 2016 से जनवरी, 2017 तक

विद्यार्थियों को निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी जाएगी :
★ यातायात नियम ★ यातायात संकेत ★ सिग्नल ★ मार्गदर्शक चिह्न

**आकर्षक
पुरस्कार**

जूनियर से माध्यमिक स्कूल विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता
मिडिल तथा माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए वाद-विवाद एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता
जनवरी, 2017 में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान अंतिम राउंड प्रतियोगितायें
तथा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किये जायेंगे

**850 से अधिक स्कूलों के लगभग 10 लाख
विद्यार्थी भाग लेंगे**



दिल्ली पुलिस
शांति • सेवा • न्याय

आप हमसे जुड़ें :
<https://twitter.com/dtptraffic> <https://www.facebook.com/dtptraffic>

24 घंटे यातायात हेल्पलाइन : 011-25844444, 1095

पुलिस आयुक्त दिल्ली को ई-मेल करें: cp.alokkumarverma@delhipolice.gov.in
अपनी लिखित शिकायत और कोई भी गोपनीय सूचना पुलिस आयुक्त दिल्ली को पोस्ट बॉक्स नं. 171, जीपीओ, नई दिल्ली के पते पर भेजें।
तुरंत पुलिस सहायता के लिए कॉल करें 100 पुलिस को सूचना देने के लिए कॉल करें 1090

क्या आपने स्कूल सड़क सुरक्षा से संबंधित किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है?

सड़क सुरक्षा शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए, लॉग ऑन करें <http://delhitrafficpolice.nic.in>
Ministry of Road Transport and Highways, <http://morth-roadsafety.nic.in>